न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चंद जैन, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 57/2017 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
भंवरसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी अनोपपुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली		ग्राम पंचायत अनोपपुरा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :-
अधिवक्ता प्रार्थी श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 14.10.2019

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध पट्टा संख्या 9 जो प्रार्थी ने जारी किया तथा संकल्प संख्या 2 की अनुपालना में जारी किया, उस पर सरपंच द्वारा हाथ से किए गए निरस्त करने के पृष्ठांकन को निरस्त कराने बाबत पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर कर ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी श्री भंवरसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी अनोपपुरा तहसील सुमेरपुर के हक में सरपंच ग्राम पंचायत अनोपपुरा द्वारा एक रहवासीय पट्टा, बुक संख्या 13 पट्टा संख्या 9 संकल्प संख्या 2 की अनुपालना में दिनांक 18.11.2010 को जारी किया गया, जिसमें मिसल का संधारण नहीं किया गया है। यह पट्टे प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2010 में जारी किए गए है। उक्त पट्टा जारी करने के बाद सरपंच ग्राम पंचायत अनोपपुरा की मोहर लगाकर बिना किसी सुनवाई के बिना नोटिस जारी किए अपनी मनमर्जी से बिना दिनांक का अंकन किए ग्राम पंचायत की पट्टा बुक में निरस्त करने का पृष्टांकन पट्टे के दोनों तरफ कर दिया, न कोई रिव्यु संबंधी नोटिस ही प्रार्थी को दिया गया, न सुना गया। इस प्रकार मनमर्जी से सरपंच द्वारा जो पृष्ठांकन किया गया है। वह विधी सम्मत नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। उक्त पृष्ठांकन बाबत ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, न ही पत्रावली कायम की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा एक बार पट्टा जारी करने के बाद स्वयं अपनी मर्जी से निरस्त नहीं कर सकती हैं। उसे सक्षम

जिला कलेक्टर, पाली

प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर ही खारिज कराया जा सकता है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी किसी भी कार्यवाही को किए बिना मनमर्जी से खारिज कर दिया। ऐसे मनमर्जी से पृष्ठांकन कर पट्टा विधी विरूद्ध किए गए पृष्ठांकन को निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री भंवरसिंह के हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा बुक संख्या 13 पट्टा संख्या 9 प्रस्ताव संख्या 2 की पालना में दिनांक 18.11.2010 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा बाबत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.11.2010 को अनापत्ति इश्तिहार जारी किया तथा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 10.11.2010 की पालना में पट्टा जारी किया, उसमें भी क.स. 9 पर प्रार्थी भंवरसिंह पुत्र गुलाबसिंह का नाम अंकित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर जारी किए गए, पट्टे पर सरपंच द्वारा बिना तारीक अंकित किए बिना प्रस्ताव लिए, मनमर्जी से निरस्त करने का पृष्ठांकन कर दिया, जो विधी सम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत एक बार प्रस्ताव पारित कर उसकी पालना में पट्टा जारी करने के बाद सरपंच द्वारा अपनी मर्जी से इस प्रकार के पृष्ठांकन कर पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ही नियमानुसार प्रस्तुत परिवाद पर बाद सुनवाई खारिज कर सकता है। सरपंच द्वारा अपनी मनमर्जी से किया गया उक्त पृष्ठांकन विधी सम्मत नहीं होने से ऐसे पृष्ठांकन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा संख्या 9 जो प्रस्ताव संख्या 2 की पालना में दिनांक 18.11.2010 को प्रशासन गांवो के संग अभियान में श्री भंवरसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी अनोपपुरा तहसील सुमेरपुर के पक्ष में ज़ारी पट्टे पर अपनी मनमर्जी से बिना किसी दिनांक एवं सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों किए गए "पट्टा निरस्त करने के" पृष्ठांकन को निरस्त जाकर ग्राम पंचायत अनोपपुरा द्वारा जारी उक्त पट्टा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत अनोपपुरा के रेकर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली